110 सूरए अन नस्र

 -नस्र (सूरा 110) का न्याय -दर्शन आधारित विश्लेषण
 विश्लेषण का उद्देश्य **: इस सूरा की तीनों आयतों की न्याय दर्शन, संख्य योग, मनुस्मृति, और भगवद्गीता के तात्त्विक तत्त्वों के आधार पर तार्किक समीक्षा करना।**
 प्रयुक्त तत्त्व **: प्रमेय (ज्ञान का विषय), हेतु (कारण), व्याप्ति (सार्वत्रिक नियम), और परिणाम**

आयत 1: "ऐ रसूल जब ख़ुदा की मदद आ पहुँचेंगी "

न्याय -विश्लेषण

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
ईश्वरीय सहायता का आगमन सुनिश्चित बताया गया है।

2. हेतु (Hetu):
इस कथन का कोई प्रमाणिक कारण या युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया; यह केवल भविष्यवाणी के रूप में है।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **न्याय सूत्र *1.1.5:*"तर्क और प्रमाण के बिना कहा गया फल एक अनुमान मात्र है।"**
- **संख्य सूत्र*:*"कार्य कारण सम्बंध के बिना सन्दर्भ सत्य नहीं होता।"**

4. उपनय (Upanaya):
सिर्फ कह देना कि 'मदद आ जाएगी' - यह भविष्यवाणी को सत्य मानने की त्रुटि है (hetvabhasa)।

5. निगमन (Nigamana):
यह आयत अयुक्तिपूर्ण भविष्यवाणी पर आधारित है, जो न्यायदृष्टि से प्रमेय सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

□ आयत **2: "**और फतेह **(**मक्का **)** हो जाएगी और तुम लोगों को देखोगे कि गोल के गोल ख़ुदा के दीन में दाख़िल हो रहे हैं **"**

□ न्याय **-**विश्लेषण

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):

धार्मिक विजय और जनसमूहों के धर्म परिवर्तन को दैवी सिद्धि बताया गया है।

2. हेतु (Hetu):

जनसँख्या वृद्धि या किसी धर्म की ओर झुकाव को सत्य का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **गीता** ***2.16:*** **"नासतो विद्यते भावो..." - असत्य कभी स्थायी नहीं होता, और सत्य का अंत नहीं।**
- **मनुस्मृति** ***4.138:*** **"बहुसंख्यक लोग जो कर रहे हों, वही धर्म नहीं होता।"**

4. उपनय (Upanaya):

धार्मिक रूपांतरण संख्या के आधार पर सत्य की सिद्धि नहीं देता; यह तर्क में अयथार्थ व्याप्ति दोष है।

5. निगमन (Nigamana):

यह कथन तात्त्विक दृष्टि से लोकाचार या विवेक के स्थान पर बाह्य संख्या को प्रमाण मानता है, जो कि न्याय और गीता-दर्शन के विपरीत है।

□ आयत **3: "**तो तुम अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तसबीह करना और उसी से माफ़ी माँगना वह बेशक बड़ा माफ़ करने वाला है **"**

□ न्याय **-**विश्लेषण

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):

इस आयत में उपासना और क्षमा याचना को दैवी अनुग्रह का कारण माना गया है।

2. हेतु (Hetu):
क्षमा प्राप्त करने का आधार केवल स्तुति करना बताना – यह कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है।

3. उदाहरण (Udaharana):

- **मनुस्मृति *11.227:* "पाप कर्मों का प्रायश्चित्त केवल दंड या तप से ही होता है, केवल वाणी से नहीं।"**
- **गीता *3.7:* "कर्म ही धर्म है, निष्क्रिय भक्ति नहीं।"**

4. उपनय (Upanaya):
तसबीह और माफ़ी माँगने मात्र से पापों से मुक्ति का दावा न्यायिक दृष्टि से कर्म विपरीत सिद्धांत है।

5. निगमन (Nigamana):
यह विचार दायित्व, प्रयत्न, और फल सिद्धांत की उपेक्षा करता है, जो न्याय दर्शन तथा गीता दोनों के विपरीत है।

सारांश तालिका : सूरह अन-नस्र (सूरा 110) की न्याय-दृष्टि समीक्षा

आयत	न्याय तत्त्व	तार्किक दोष (Hetvabhasa)	हिन्दू शास्त्रीय विरोध
1	प्रमेय, हेतु	बिना प्रमाण के भविष्यवाणी	न्याय सूत्र 1.1.5
2	व्याप्ति, प्रमेय	धर्म सत्य का प्रमाण जनसँख्या को मानना – व्याप्ति दोष	गीता 2.16, मनु 4.138
3	हेतु, कर्म सिद्धांत	तसबीह से क्षमा मिलने का दावा – कर्म सिद्धांत का विरोध	मनु 11.227, गीता 3.7

न्यायिक निष्कर्ष (Conclusion):

सूरह अन-नस्र की समस्त आयतें तर्क, कर्मफल, और प्रमाण सिद्धांत पर आधारित न्याय दर्शन के विरुद्ध पाई जाती हैं।
यहां भविष्यवाणी, जनसँख्या आधारित प्रमाण, तथा तसबीह से क्षमा जैसे दावे तात्त्विक रूप से न्याय दर्शन, योग दर्शन, एवं गीता के सिद्धांतों से विपरीत हैं।

 यदि आप अगली सूरा — **सूरह लहब या किसी विशेष सूरा का न्याय विश्लेषण चाहते हैं, कृपया निर्देश दें।**